

बिहार सरकार

कृषि विभाग

Mail/Fax

पत्र संख्या-3/कृ०बजट आवंटन-12/2015-07 (मा.दे.) / कृ०, पटना, दिनांक 27-04, 2015
प्रेषक,

सुधीर कुमार, (भा०प्र०से०)
प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, पटना/ नालंदा/भोजपुर /बक्सर/रोहतास/ भभुआ/ गया/
जहानाबाद/ अरवल/ नवादा/औरंगाबाद /सारण/ सिवान/मुजफ्फरपुर /पूर्वी
चम्पारण /पश्चिमी चम्पारण/ सीतामढ़ी /शिवहर/वैशाली/दरभंगा /मधुबनी/
समस्तीपुर/बेगूसराय/मुंगेर/शेखपुरा/लखीसराय/जमुई/खगड़िया/भागलपुर/बाँका
/सहरसा/सुपौल/ मधेपुरा/ पूर्णियाँ/ किशनगंज / अररिया/कटिहार।

विषय : वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष-02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-114-कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष-0001 कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) विपत्र कोड-N2245021140001 में कुल ₹4,13,08,00,000 (चार अरब तेरह करोड़ आठ लाख रुपये) का उप आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कृषि विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-मो०-1993 दिनांक-27.04.2015 द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग बिहार के पत्रांक:-1/प्रा०आ०-0-3-23/15-03 (सा० अनु०)/आ०प्र० दिनांक-22.04.2015 एवं 14 (सा०अनु०)/आ०प्र० दिनांक-26.04.2015 द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में गैर योजना मुख्य बजटशीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्यशीर्ष-02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-114-कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष-0001-कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) विपत्रकोड-N2245021140001 में उपलब्ध कराये गये ₹4,13,08,00,000 (चार अरब तेरह करोड़ आठ लाख रुपये) को जिलावार कर्णांकित किया गया है।

जिला वार कर्णांकित राशि को व्यय हेतु निम्न प्रकार उप-आवंटित किया जाता है:-

क्रम सं०	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कर्णांकित राशि (रु० में)	उप-आवंटित राशि (रु० में)
1	पटना	जिला पदाधिकारी, पटना	78770000	78770000
2	नालंदा	जिला पदाधिकारी, नालंदा	129585000	129585000
3	भोजपुर	जिला पदाधिकारी, भोजपुर	111939000	111939000
4	बक्सर	जिला पदाधिकारी, बक्सर	157699000	157699000
5	रोहतास	जिला पदाधिकारी, रोहतास	198612000	198612000
6	भभुआ	जिला पदाधिकारी, भभुआ	11702000	11702000
7	गया	जिला पदाधिकारी, गया	70132000	70132000
8	जहानाबाद	जिला पदाधिकारी, जहानाबाद	8450000	8450000
9	अरवल	जिला पदाधिकारी, अरवल	1673000	1673000
10	नवादा	जिला पदाधिकारी, नवादा	363000	363000
11	औरंगाबाद	जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद	144644000	144644000
12	सारण	जिला पदाधिकारी, सारण	7212000	7212000
13	सिवान	जिला पदाधिकारी, सिवान	294359000	294359000
14	मुजफ्फरपुर	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	255910000	255910000
15	पूर्वी चम्पारण	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	371445000	371445000
16	पश्चिमी चम्पारण	जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण	139613000	139613000
17	सीतामढ़ी	जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी	105553000	105553000
18	शिवहर	जिला पदाधिकारी, शिवहर	70734000	70734000
19	वैशाली	जिला पदाधिकारी, वैशाली	119305000	119305000
20	दरभंगा	जिला पदाधिकारी, दरभंगा	186448000	186448000
21	मधुबनी	जिला पदाधिकारी, मधुबनी	231522000	231522000
22	समस्तीपुर	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर	218135000	218135000

23	बेगुसराय	जिला पदाधिकारी, बेगुसराय	158244000	158244000
24	मुंगेर	जिला पदाधिकारी, मुंगेर	29927000	29927000
25	शेखपुरा	जिला पदाधिकारी, शेखपुरा	34474000	34474000
26	लखीसराय	जिला पदाधिकारी, लखीसराय	11953000	11953000
27	जमुई	जिला पदाधिकारी जमुई	38541000	38541000
28	खगड़िया	जिला पदाधिकारी, खगड़िया	149454000	149454000
29	भागलपुर	जिला पदाधिकारी भागलपुर	140040000	140040000
30	बाँका	जिला पदाधिकारी, बाँका	70507000	70507000
31	सहरसा	जिला पदाधिकारी, सहरसा	100493000	100493000
32	सुपौल	जिला पदाधिकारी, सुपौल	77744000	77744000
33	मधेपुरा	जिला पदाधिकारी, मधेपुरा	91515000	91515000
34	पूणियाँ	जिला पदाधिकारी, पूणियाँ	153451000	153451000
35	किशनगंज	जिला पदाधिकारी, किशनगंज	43385000	43385000
36	अररिया	जिला पदाधिकारी, अररिया	105067000	105067000
37	कटिहार	जिला पदाधिकारी, कटिहार	12200000	12200000
योग—			4130800000	4130800000
कुल योग— (चार अरब तेरह करोड़ आठ लाख रुपये) मात्र।				

2. उपरोक्त ₹4,13,08,00,000 (चार अरब तेरह करोड़ आठ लाख रुपये) मात्र का व्यय गैर योजना मुख्य बजटशीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्यशीर्ष-02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-114-कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष-0001-कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) मांग संख्या-39 विषयशीर्ष-3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा विपत्रकोड-N2245021140001 के अंतर्गत विधान मंडल से पारित बिहार विनियोग (लेखा अनुदान) अधिनियम 2015 द्वारा उपबंधित राशि एवं राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत राशि से विकलनीय होगा।

3. वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में राशि आवंटित है।

4. विभागीय कार्यालयादेश संख्या- 1993 दिनांक-27.04.2015 एवं आपदा प्रबंधन विभाग बिहार के पत्रांक:-1/प्रा०आ०-0-3-23/15-03 (सा० अनु०)/आ०प्र० दिनांक-22.04.2015 एवं 14 (सा०अनु०)/आ०प्र० दिनांक-26.04.2015 में उल्लेखित शर्तों एवं निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय। जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

कृ०, पटना, दिनांक , 2015

ज्ञापांक

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मन

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव

प्रतिलिपि : आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी जिलों के प्रभारी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/कृषि निदेशक/निदेशक, पी० पी० एम०, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (शष्य) योजना कृषि विभाग बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) /सभी जिला कृषि पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, कृषि विभाग-सह-उप कृषि निदेशक, (सांख्यिकी)/प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

सुनी

4 27/4/15
प्रधान सचिव